



मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक 279 / 1995

भारतीय खाद्य निगम
(वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, चेतक बिल्डिंग, एम.पी. नगर, भोपाल)

— याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), 10, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)
2. दुर्ग जिला हम्माल मज़दूर संघ, अध्यक्ष श्री एस.एन. साधु, सुपेला बाज़ार, भिलाई (म.प्र.)
3. श्रीमती शांति बाई, पत्नी श्री शंभू पटेल
4. श्रीमती कुलेश्वरीबाई, पत्नी कर्तिकराम साहू
5. हथियारिनबाई, पत्नी कलुआम साहू
6. जानकीबाई, पत्नी गूजू सतनामी
7. भगवानी बाई, पत्नी झबूराम नाई
8. जानकी बाई, पत्नी उमरु महतो
9. कुंती बाई, पत्नी बीरम सिंह
10. बिसाही बाई, पत्नी चैन सिंह निर्मलकर
11. गिरिजा बाई, पत्नी कृष्णराम
12. नारायण प्रसाद, पुत्र श्यामरतन उमरे
13. बिरबल, पुत्र शिवनाथ यादव
14. आनंद कुमार, पुत्र मयाराम यादव
15. हाकिम खान, पुत्र सज़ाद खान
16. सबीर अली, पुत्र अब्दुल अली



17. पुनाऊ राम, पुत्र रघुनाथ राम वर्मा
18. नरेंद्र कुमार, पुत्र श्यामरतन उमरे
19. राजकुमार, पुत्र सुदाकांत साहू
20. बिशम्बर लाल, पुत्र किशन सतनामी
21. कुमार, पुत्र बहादुर आदिवासी
22. श्रीमती बृज बाई, पत्नी साहेब सिंह, निवासी भिलाई
23. कलेक्टर, दुर्ग

—उत्तरवादीगण





मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक: 279 / 1995

(संशोधित अनुसार न्यायालय के आदेश दिनांक 18-06-2001)

- (i) कुमारी बाई, विधवा देरहराम, उम्र लगभग 35 वर्ष
- (ii) सागर, पुत्र देरहराम, उम्र लगभग 13 वर्ष
- (iii) पुरणीक, पुत्र देरहराम, उम्र लगभग 5 वर्ष, क्रमांक (ii) और (iii) दोनों नाबालिग, प्राकृतिक संरक्षक माता

कुमारी बाई के माध्यम से

- (iv) सुरज बाई, पत्नी पसाऊ राम, उम्र लगभग 70 वर्ष

सभी निवासी झोपड़ी, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दुर्ग (छ.ग.) की पूर्वी दीवार से सटी हुई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत याचिका, एक सर्टियोरारी, मण्डामस, निषेधाज्ञा (प्रोहिबिशन) तथा उपयुक्त दिशा-निर्देशों के लिए।



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(युगलपीठ)

पीठ: माननीय श्री ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री सतीश के. अग्रिहोत्री, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्रमांक: 279 / 1995



विचार हेतु आदेश
हस्ताक्षरित —

सतीश के. अग्रिहोत्री
न्यायाधीश
दिनांक: 26/09/2005

माननीय श्री ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित —
मुख्य न्यायाधीश

तय तारीख: 21/09/2005

हस्ताक्षरित —
दिनांक: 28/09/2005



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(युगलपीठ)

पीठ: माननीय श्री ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री सतीश के. अग्रिहोत्री, न्यायमूर्ति

रिट याचिका संख्या: 279 / 1995

भारतीय खाद्य निगम
बनाम
क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी) एवं अन्य

उपस्थित:

श्री आर. के. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री बी. पी. अधिवक्ता गुप्ता— याचिकाकर्ता की ओर से।
श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री शिप्रा बिस्वास के साथ — उत्तरवादी क्र. 2 से 24 की ओर से।
श्री पी. एस. कोशी — हस्तक्षेपकर्ता की ओर से।

आदेश

(दिनांक: 29 सितम्बर, 2005 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्रिहोत्री द्वारा पारित किया गया: 1. वर्तमान रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें दिनांक 05.10.1994 एवं 14.12.1994 (संग्रहक P-1 एवं P-2) को चुनौती दी गई है, जो कि क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी), जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक J.2(14)/93.I.R.II में पारित की गई थी तथा पत्र संख्या J.2(14)/93.I.R.II दिनांक 22.12.1994 (संग्रहक P-33) के माध्यम से क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी), जबलपुर द्वारा कलेक्टर, दुर्ग को भेजा गया था।



2. निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह है कि उत्तरवादी संख्या 3 से 24 तक के श्रमिक याचिकाकर्ता के साथ दुर्ग में कार्यरत थे। इन श्रमिकों की सेवाएँ 09.11.1984 से समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता के अनुसार, एम/एस शाही ट्रांसपोर्ट, दुर्ग को कार्य के लिए ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, और एम/एस शाही ट्रांसपोर्ट ने उत्तरवादी क्रमांक 3 से 24 को उस कार्य के लिए नियुक्त करने से इनकार कर दिया जिसे वे पहले कर रहे थे। उत्तरवादी – श्रमिकों ने भारत सरकार के समक्ष एक विवाद उठाया, और सुलह की असफलता के बाद भारत सरकार ने दिनांक 26.04.1985 को यह मामला केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण – सह श्रम न्यायालय (CGIT), जबलपुर को निम्नलिखित मुद्दे के निर्णय के लिए भेजा:

"क्या भारतीय खाद्य निगम (FCI) के प्रबंधन द्वारा, उनके क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई भोपाल के संबंध में, नीचे परिशिष्ट में उल्लिखित 25 श्रमिकों को 1.12.1983 से नियमित न करना उचित है? यदि नहीं, तो संबंधित श्रमिक किस प्रकार की अनुतोष के पात्र हैं?"

सी.जी.आई.टी के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 25.05.1986 को निम्नलिखित निर्णय अधिनिर्धारित किया है।

पैरा – 15: मैं इस संदर्भ का इस प्रकार उत्तर देता हूँ :-

(a) भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन द्वारा, उनके क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल के संबंध में, परिशिष्ट में उल्लिखित 25 श्रमिकों को 1.12.1983 से नियमित न करना उचित नहीं है। परिणाम स्वरूप वे 1.12.1983 से विभागीय कर्मचारी के रूप में बहाल एवं नियमित किए जाने के हकदार हैं।

(b) उन्हें आगे निम्नलिखित लाभों के लिए भी पात्र माना जाता है:



- (i) 1.12.1983 से 9.11.1984 तक की अवधि के लिए अस्थायी श्रमिकों और विभागीय श्रमिकों के वेतन के बीच के अंतर की भरपाई, सभी सहायक अनुतोषों सहित।
- (ii) 10.11.1984 से पुनः नियुक्ति तक, उन्हें पूर्ण वेतन व सभी सहायक अनुतोषों सहित नियमित कर्मचारी के रूप में भुगतान दिया जाए।
- (iii) यह कार्य पंचाट के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा संबंधित श्रमिक 9% वार्षिक ब्याज के हकदार होंगे, जो डिफॉल्ट की तिथि से भुगतान की तिथि तक देय होगा। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को श्रमिकों को ₹1000/- लागत के रूप में भी अदा करनी होगी।

(3) याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में दिनांक 25.05.1986 के सी.जी.आई.टी. के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की, जिसे एम.पी नंबर 3275/1986 के रूप में क्रमांकित किया गया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ, जबलपुर ने दिनांक 23.03.1993 को यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की, जिसमें सी.जी.आई.टी. के आदेशों को बनाए रखा गया, जिसमें यह निर्देश था कि श्रमिकों को नियमित किया जाए। लेकिन 01.12.1983 से 09.11.1984 तक के वेतन के अंतर के भुगतान के निर्देश को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के 23.03.1993 के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (सिविल) एस.एल.पी. संख्या 3275/1986 के तहत उक्त विशेष अनुमति याचिका (सिविल) खारीज कर दी गई। तत्पश्चात विशेष अनुमति याचिका (सिविल) में पारित आदेश के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका भी 03.11.1993 को खारीज कर दी गई।



(4) याचिकाकर्ता ने, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, दिनांक 25.01.1994 को (परिशिष्ट P-6) एक आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी श्रमिकों को उनकी मूल पद पर पुनः नियुक्त किया गया, जो कि पीस रेट प्रणाली ('बी' सूची) के अंतर्गत श्रमिक के रूप में था। इन श्रमिकों को जिला प्रबंधक, दुर्ग द्वारा डिपो कार्यालय में विभिन्न सहायक कार्यों हेतु तैनात किया जाना था। साथ ही, यह आदेश दिया गया कि इन श्रमिकों को 'बी' सूची में शामिल श्रमिकों के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जो FCI के म.प्र. क्षेत्र में लागू होता है। इसके पश्चात दिनांक 04.01.1995 को (परिशिष्ट P-7) एक और आदेश पारित किया गया संशोधन (Corrigendum) द्वारा "विभागीय श्रमिक के रूप में नियमित (regularized)" शब्द को हटाकर 25.01.1994 के पहले के आदेश को संशोधित किया गया, जो इस प्रकार है:

"सूची में संलग्न 22 श्रमिकों को 'बी' सूची में विभागीय सहायक श्रमिक के रूप में 1/12/1983 से प्रभावी रूप से पुनः नियुक्त किया गया है और वे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार 'बी-लिस्ट' सहायक श्रमिकों के लिए अनुमोदित दरों पर पिछले वेतन (backwages) के हकदार होंगे, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में निर्देशित किया गया है।"

(5) उत्तरदाता - श्रमिकों ने 10.08.1993 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिससे ₹77,01,000/- की राशि की वसूली हेतु, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 धारा 33-सी(1) संक्षेप में (आई.डी.) और औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 के नियम 61(1) के अंतर्गत, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जबलपुर के समक्ष रखा गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक **05.10.1994** के आदेश (अनुलग्नक-पी-1) द्वारा माना कि गणना के विवरण की जांच करने के पर्याप्त अवसर के बावजूद, याचिकाकर्ता के प्रबंधन ने कोई गणना दायर नहीं की है अतः, श्रमिकों की



यूनियन द्वारा प्रस्तुत गणना के आधार पर, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह ₹54,75,972/- की राशि 30 दिनों के भीतर जबलपुर में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करे।

(6) इसके पश्चात, याचिकाकर्ता ने एक पुनर्विचार याचिका (Review Application) दायर की और संशोधित गणना पत्रक प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि श्रमिक ₹7,15,629.84/- की शेष राशि के भी हकदार हैं, जो पहले दिए गए ₹4,89,348/- के अतिरिक्त होगी। उत्तरदाता क्रमांक 1 ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और 05.10.1994 को पारित आदेश की पुष्टि की।

(7) याचिकाकर्ता आयुक्त द्वारा आदेशित राशि जमा करने में असफल रहा, और इस कारण से वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध कलेक्टर, दुर्ग को 22.12.1994 को भेजा गया। याचिकाकर्ता ने यह याचिका भारत के संविधान औद्योगिक विवाद अधिनियम, के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत आदेश दिनांक 05.10.1994 और 14.12.1994 (परिशिष्ट P-1 और P-2) को चुनौती देने हेतु दायर की है, जो कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जबलपुर (प्रतिवादी क्रमांक 1) द्वारा पारित किए गए थे, तथा पत्र दिनांक 22.12.1994 (परिशिष्ट P-33) जो कि कलेक्टर, दुर्ग को भेजा गया था।

(8) आर.के. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री बी.पी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता से प्रस्तुत किया प्रस्तुत किया कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) - उत्तरवादी संख्या 1 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, की धारा 33-सी (1) के अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। किसी नियोक्ता से श्रमिकों को देय धनराशि की वसूली का निर्देश प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा केवल किसी समझौते या पंचाट के अनुसरण में या अध्याय V-A (छंटनी और छंटनी) या अध्याय V-B (कुछ प्रतिष्ठानों में छंटनी, छंटनी और बंद करने से संबंधित विशेष प्रावधान) के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दिया जा सकता है। विद्वान वकील ने दलील दी कि सीजीआईटी ने अपने पहले के



25.05.1986 के फैसले में, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के 23.03.1993 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी कामगारों को 10.11.1984 से पूरे बकाया वेतन और सभी सहायक राहतों के साथ बहाल करने और नियमित करने का निर्देश दिया था और चूक की तारीख से राशि का भुगतान होने तक 9% की दर से ब्याज भी दिया गया था, लेकिन इस हद तक कोई फैसला नहीं है कि प्रतिवादी कामगारों को "अनुसूची ए" कर्मचारियों के आधार पर राशि का भुगतान किया जाए। विद्वान वकील ने दलील दी कि सीजीआईटी द्वारा पारित फैसले और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रतिवादी कामगारों को 25.01.1994 के आदेश के तहत सहायक कार्यों के लिए सहायक मजदूर 'बी' सूची के रूप में 01.12.1983 से निगम की सेवाओं में बहाल और नियमित किया गया था। और शुद्धिपत्र दिनांक 04.01.1995। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी कामगारों ने बिना किसी विरोध के सहायक श्रमिक 'बी' सूची का पद स्वीकार कर लिया और 03.02.1994 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। दुर्ग के वर्तमान डिपो के मामले में ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के तहत ठेका श्रम प्रणाली को अधिसूचित नहीं किया गया है और वर्तमान डिपो में ठेका प्रणाली जारी है। प्रतिवादी कामगारों को सहायक श्रमिक 'बी' सूची के रूप में नियमित आधार पर नियुक्तियां दी गईं और उन्हें सहायक श्रमिक - 'बी' सूची के लिए स्वीकार्य आवधिक संशोधन के अधीन परिभाषित मजदूरी और अन्य फ्रिंज लाभ दिए गए। प्रतिवादी कामगारों को सरकार द्वारा घोषित समान कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया और उक्त आधार पर पिछली मजदूरी की गणना की गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आई.डी. की धारा 33-सी (1) के तहत 54,75,972/- प्रतिवादी क्रमांक 1 के समक्ष अधिनियम में एक अलग विवाद शामिल है, जिस पर निर्णय नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा राशि प्रदान नहीं की जा सकती है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने पिछली मजदूरी की राशि की गणना की और 12,04,977.84 रुपये की गणना पत्रक प्रस्तुत किया, जिसे प्रतिवादी



क्रमांक 1 ने अवैध रूप से खारिज कर दिया। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी/कर्मचारी 25.05.1986 को सीजीआईटी द्वारा पारित पुरस्कार के अनुसार 'ए' सूची श्रमिकों या सहायक 'बी' सूची श्रमिकों के रूप में नियमित नियुक्ति के हकदार हैं और जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा 23.03.1993 को संशोधित किया गया है, एक अलग विवाद है, जिसका पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत न्यायनिर्णयन किया जाना है और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा इस विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के बिना 54,75,922/- रुपये के भुगतान का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत गणना चार्ट को देखने में विफल रहा है याचिकाकर्ता को बिना किसी कानूनी अधिकार के मनमाने ढंग से 54,75,922 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बाद में दायर अतिरिक्त दलीलों के लिए अपने आवेदन के माध्यम से आगे कहा कि उस समय एफसीआई में 'बी' सूचीबद्ध डिपो के श्रमिकों के लिए वेतनमान 1350 रुपये यानी 45 प्रति दिन था और यह पहली बार 01.01.1991 को प्रदान किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, जबलपुर के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-सी (1) के तहत दायर आवेदन में दावा किया गया था कि वे वर्ष 1984 से 'ए' सूचीबद्ध डिपो के श्रमिकों के लाभों के हकदार थे, जिनका न्यूनतम समय वेतनमान 1055 रुपये था, जो पहली बार मध्य प्रदेश क्षेत्र में 01.01.1991 से प्रदान किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त स्थिति के आधार पर प्रतिवादियों द्वारा वर्ष 1984 से 'ए' सूचीबद्ध डिपो कर्मचारियों के वेतन का दावा करने का कोई आधार या औचित्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय खाद्य निगम में अपनाई गई व्यवस्था के अनुसार, डिपो की स्थिति डीपीएस, 'बी' सूचीबद्ध और 'ए' सूचीबद्ध आदि के रूप में निर्धारित की जाती है, न कि कर्मचारियों की। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 'बी'



सूचीबद्ध डिपो कर्मचारियों का वेतनमान भी 01.04.1995 से संशोधित किया गया था और इसे 1980/- रुपये प्रति माह (66/- रुपये प्रतिदिन) कर दिया गया था और प्रतिवादी कर्मचारियों को भी उसी दर से भुगतान किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि 'बी' सूचीबद्ध डिपो कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि के बावजूद, 01.01.1998 को उनका वेतन प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों से कम था, इसलिए प्रतिवादियों - कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, 01.01.1998 से उन्हें 'बी' सूचीबद्ध डिपो के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त लाभों सहित प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली की बढ़ी हुई दर पर वेतन का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि याचिका स्वीकार की जाए और आक्षेपित आदेश पारित किए जाएँ। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), जबलपुर - प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया विवादित पत्र तदनुसार निरस्त

किया जाए।

(10) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने प्रतिवादियों/कर्मचारियों के विद्वान अधिवक्ता सुश्री शिप्रा बिस्वास की सहायता से आदेश दिनांक 05.10.1994 और 14.12.1994 (अनुलग्नक पी-1 और पी-2) तथा पत्र दिनांक 22.12.1994 (अनुलग्नक-पी-33) के समर्थन में प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-कर्मचारी वही वेतन पा रहे हैं जो उन्हें 1983 में मिल रहा था जब नियमितीकरण और बहाली के लिए विवाद उठाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी कर्मचारों को नियमित विभागीय कर्मचारियों के रूप में नियमित नहीं किया गया है, जिन्हें सीजीआईटी, जबलपुर द्वारा पारित 25.05.1986 के पुरस्कार के अनुसार नियमित वेतनमान मिल रहा था और बाद में 23.03.1993 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा कुछ संशोधनों के साथ पुष्टि की गई थी। प्रतिवादी कर्मचारी अभी भी अनियमित मजदूर हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर वेतन दिया जाता है, न कि उस मासिक वेतन के आधार पर जो याचिकाकर्ता के नियमित विभागीय मजदूरों को स्वीकार्य और देय है। 25.05.1986 का निर्णय, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा 23.03.1993 के आदेश द्वारा कुछ



संशोधनों के साथ पुष्ट किया गया था, स्पष्ट और सुस्पष्ट है, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी कर्मचारियों को नियमित पदों पर बहाल करने और नियमित करने का निर्देश दिया गया है, न कि केवल सहायक कार्यों के लिए अनियमित दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के रूप में। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 'बी' सूचीबद्ध श्रमिकों को 'ए' सूचीबद्ध श्रमिकों को देय मजदूरी का लगभग आधा मिलता है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में एफसीआई में नियमित सहायक मजदूर थे और उन्हें नियमित वेतनमान, महंगाई भत्ता और अन्य लाभ मिल रहे थे। दुर्ग डिपो में 'बी' सूचीबद्ध सहायक मजदूर नियमित कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि दैनिक मजदूरी के भुगतान के आधार पर अनियमित मजदूर हैं। प्रतिवादी कामगारों ने विरोध स्वरूप 'बी' सूचीबद्ध कामगारों के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर ली और इस गलती को सुधारने के लिए कई अभ्यावेदन दिए तथा नियमित किए गए कामगारों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा सकता। विद्वान वकील ने अंततः तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 को धारा 33-सी (1) के तहत सीजीआईटी द्वारा दिनांक 25.05.1986 को दिए गए निर्णय के अनुसार बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश देने का पूर्ण अधिकार है, जिसे बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के दिनांक 23.03.1993 के आदेश द्वारा पुष्टि और कुछ हद तक संशोधित किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी कामगारों के विद्वान वकील ने रिट याचिका को जुमाने सहित खारिज करने की प्रार्थना की।

(11) इसी बीच, कुछ प्रतिवादी – श्रमिक, विशेष रूप से प्रतिवादी क्रमांक 6 और 20 की मृत्यु हो गई, और उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया गया है।

(12) भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संघ ने अपने कार्यकारी सदस्य श्री बिमल प्रसाद मिश्रा के माध्यम से हस्तक्षेप हेतु आवेदन (I.A. क्र. 4529/2001) दायर किया, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि CGIT के समक्ष जो श्रमिक पक्षकार नहीं थे लेकिन उनकी स्थिति समान है, उन्हें भी 25.05.1986 के निर्णय के समान लाभ प्रदान किए जाएं।



न्यायालय ने 27.07.2005 के आदेश द्वारा इस हस्तक्षेप आवेदन को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया कि हस्तक्षेपकर्ता याचिका का पक्षकार नहीं हो सकता । श्री पी.एस. कोशी, हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता ने प्रतिवादी श्रमिकों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार किया ।

(13) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-C(1) इस प्रकार है:

"33 C – किसी नियोक्ता से बकाया धन की वसूली

1) जहां किसी कर्मचारी को नियोजक से किसी समझौते या पंचाट के अधीन या (अध्याय वीए या अध्याय वीबी) के प्रावधानों के अधीन कोई धन देय है, वहां कर्मचारी स्वयं या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इस निमित्त, या, कर्मकार की मृत्यु की दशा में, उसका समनुदेशिनी या उत्तराधिकारी, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसको देय धनराशि की वसूली के लिए समुचित सरकार को आवेदन कर सकेगा, और यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाए कि कोई धनराशि देय है, तो वह उस धनराशि के लिए कलेक्टर को प्रमाण-पत्र जारी करेगी, जो उसे भू-राजस्व के बकाया के समान ही वसूल करने की कार्यवाही करेगा:

परन्तु ऐसा प्रत्येक आवेदन उस तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा, जिस तारीख को नियोक्ता से कर्मकार को धनराशि प्राप्त हुई थी;



बशर्ते कि ऐसा कोई भी आवेदन एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी स्वीकार किया जा सकेगा, यदि समुचित सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(14) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (1) के प्रावधानों में किसी भी धन की वसूली की बात कही गई है जो किसी कर्मचारी को समझौते या पुरस्कार के अनुसार या अध्याय V-A या अध्याय V-B के प्रावधानों के तहत नियोक्ता से मिलना चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता को CGIT के 25.05.1986 के पुरस्कार के अनुसार धन का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ संशोधनों के साथ पुष्टि की है। प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता को 'ए' सूची के श्रमिकों को देय वेतनमान के आधार पर सभी सहायक राहतों के साथ पिछला वेतन देने का निर्देश किया गया है। CGIT के 25.05.1986 के अधिनिर्णय ने 'ए' सूची के श्रमिकों के रूप में श्रमिकों की बहाली और नियमितीकरण का निर्देश नहीं दिया था इस प्रकार, इस तथ्य के संबंध में स्पष्ट विवाद था कि क्या प्रतिवादी श्रमिकों को 'ए' सूची श्रमिकों या 'बी' सूची सहायक श्रमिकों के रूप में नियमित और बहाल किया जाना चाहिए थाबकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने से पहले, प्रतिवादी संख्या 1 ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (1) के तहत अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।... इसके पहले कि बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश दिया जाता, प्रतिवादी संख्या 1 ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-C (1) के अंतर्गत अपनी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है।



(15) वर्तमान मामले में, तथ्य विवादित हैं क्योंकि याचिकाकर्ता प्रबंधन ने दावा किया है कि प्रतिवादी कामगार सहायक 'बी' सूची के कामगारों के रूप में कार्यरत थे और इस तरह वे विभागीय कामगार हैं। दूसरी ओर प्रतिवादी कामगारों का दावा है कि नियमित विभागीय कामगार केवल वे कामगार हैं, जो 'ए' सूची के कामगार हैं और इस तरह वे 'ए' सूची के कामगारों को देय वेतनमान और अन्य सहायक अनुतोषों के हकदार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी कामगारों द्वारा प्रस्तुत पिछली मजदूरी की गणना को बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लिया और 22.12.1994 का आक्षेपित पत्र अनुलग्नक पी/33 जारी कर दिया गया। उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उचित न्याय निर्णय के बिना, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-सी (1) के तहत ऊपर बताई गई कोई राहत नहीं दी गई। दिनांक 25.05.1986 के निर्णय के अनुसार और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.1993 के आदेश द्वारा कुछ संशोधनों के साथ पुष्टि के अनुसार, प्रतिवादी कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारियों के रूप में नियमितीकरण और तदनुसार वेतन एवं अन्य सहायक लाभों के भुगतान का प्रावधान है। दिनांक 25.05.1986 के निर्णय में यह प्रावधान नहीं है कि प्रतिवादी कर्मचारियों को 'ए' सूची के कर्मचारियों या 'बी' सूची के कर्मचारियों के रूप में बहाल और नियमित किया जाएगा और परिणामस्वरूप, क्या प्रतिवादी कर्मचारी 'ए' सूची के कर्मचारियों या 'बी' सूची के कर्मचारियों को देय भुगतान के आधार पर बकाया वेतन और अन्य सहायक राहत के हकदार होंगे।

(16) उपरोक्त कारणों से, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), जबलपुर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रकरण क्रमांक जे.2 (14)/93-1.आर.II. में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.10.1994 एवं 14.12.1994 (अनुलग्नक पी-1 एवं पी-2) तथा पत्र क्रमांक जे.2(14)/93.आई.आर.II., दिनांक 22.12.1994 -उनके द्वारा कलेक्टर, दुर्ग को भेजे गए आवेदन पत्र (अनुलग्नक-पी-33) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। इसके स्थान पर, याचिकाकर्ता औद्योगिक विवाद



अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उक्त अधिनियम के अंतर्गत पक्षकारों के बीच उपरोक्त विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु प्रस्तुत करने हेतु आवेदन कर सकता है।

(17) तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। वाद- व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षरित —

मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित—

सतीश के. अग्रिहोत्री
न्यायाधीश
29-09-2005

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .Advocate Prakash Singh Rajput